मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित अन्तिरिम आदेश के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति, उ0प्र0 द्वारा दिये गये, आश्रय गृहों के संचालन हेतु दिशा–निर्देश।

राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति (शहरी बेघरों हेतु आश्रय) उ0प्र0 की 10वीं बैठक के कार्यवृत्त पत्रांक 3054 दिनांक 18.12.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आश्रय गृह संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। समिति द्वारा बैठक में शीतकाल के दृष्टिगत आश्रय गृह के संचालन व्यवस्था कर सघन समीक्षा की गयी तथा वर्तमान में शहरों/निकायों में उपलब्ध स्थायी आश्रय गृह/अस्थायी आश्रय गृहों में उपलब्ध क्षमता से कम औसतन लगभग 25 प्रतिशत शहरी बेघरों द्वारा आश्रय गृह में आश्रय लिये जाने की प्राप्त हो रही सूचनाओं एंव संचालन व्यवस्था पर विभिन्न शहरों से प्राप्त फीडबैक पर असन्तोष व्यक्त करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेशों एवं शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी स्थाई एवं अस्थाई आश्रय गृह का सुचारू रूप से संचालन कराये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने के सुझाव दिये गये हैं:–

1. स्थायी एवं अस्थायी आश्रय गृहों में शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराया जाना है। शहरी बेघरों में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है, जिनके पास अपना निजी अथवा किराये का मकान नहीं होने के कारण सड़क के किनारे पटरियों (पेवमेण्ट), पार्क, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, धार्मिक स्थलों के पास, दुकान एवं कारखाने के चबूतरों, निर्माण स्थल, पुल के नीचे, ह्यूम पाईप एवं अन्य खुले स्थानों पर शहर में रात्रि विश्राम करते हैं, जिन्हें आश्रय गृहों में सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं सहित आश्रय उपलब्ध कराया जाना है।
2. सभी नगरीय निकायों में DAY-NULM के पूर्ण सभी आश्रय गृह को तत्काल सी0एण्ड डी0एस0 से हस्तगत लेकर संचालन प्रारम्भ कराया जाये। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाय। शहरों में पूर्व से स्थापित एवं संचालित NON DAY-NULM के सभी आश्रय गृहों का संचालन मिशन दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाय।
3. विगत में कराये गये थर्ड पार्टी सर्वेक्षण के अनुसार नगरीय निकायों में पाये गये शहरी बेघरों/वर्तमान में उपलब्ध सभी शहरी बेघरों को मूलभूत सेवाओं/ सुविधाओं से युक्त आश्रय उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
4. जिन नगरीय निकायों में अद्यतन स्थायी आश्रय गृह नहीं हैं/निर्माणाधीन हैं अथवा उपलब्ध स्थायी आश्रय गृह की क्षमता से अधिक निकाय में शहरी बेघर हैं, तो पर्याप्त संख्या में अस्थायी आश्रय गृहों की स्थापना नगरीय निकायों के माध्यम से कराकर संचालित कराया जाये। अस्थायी आश्रय गृह की स्थापना के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर सूचना सम्बन्धित जनपदीय सी0एम0एम0यू0 डूडा एवं सूडा, उ0प्र0 को भी उपलब्ध करा दिया जाये। सी0एम0एम0यू0 डूडा द्वारा अस्थायी आश्रय गृहों का विस्तृत विवरण मोबाइल ऐप पर अपलोड किया जाये।
5. शहरी बेघरों को आश्रय दिये जाने का विवरण मा0 उच्चतम न्यायालय को अवगत कराने के दृष्टिगत यह सुनिश्चित किया जाना है कि सभी निकायों/शहरों में संचालित DAY-NULM/NON DAY-NULM एवं सभी अस्थाई आश्रय गृह में रूकने वाले व्यक्तियों का विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाय तथा प्रत्येक दिवस सभी नगरीय निकाय अपने जनपद के सी0एम0एम0यू0 डूडा को आश्रय गृह में रूकने वाले व्यक्तियों की आश्रय गृहवार सूचना प्रत्येक दशा में ईमेल, दूरभाष/मोबाइल/व्हाट्सप्प ग्रुप के माध्यम से प्रातः 10:30 बजे तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि आश्रय गृह में रूकने वाले व्यक्तियों की दैनिक आश्रय लेने वाले बेघरों की सूचना (आक्यूपेन्सी) मोबाइल ऐप पर अपलोड हो सके। सभी नगरीय निकाय अपने यहां आश्रय गृह के कार्य हेतु किसी अधिकारी/कर्मी को नामित करें तथा नामित अधिकारी/कर्मी का नाम

पदनाम एवं मोबाइल नम्बर व ईमेल आई0डी0 डूडा को प्रत्येक दशा में तत्काल उपलब्ध करा दें। सी0एम0एम0यू0 डूडा का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने यहां नोडल अधिकारी/कर्मी नामित कर सभी नगरीय निकायों को अपने नोडल अधिकारी, कर्मी का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर व मेल आईडी देकर समन्वय से प्रत्येक दिवस सभी आश्रय गृह में रूकने वाले व्यक्तियों की आश्रय गृह एवं निकायवार सूचना प्राप्त कर मोबाइल ऐप पर प्रत्येक दशा में 11:00 बजे तक अपडेट करेंगे। दैनिक सूचना अवकाश व साप्ताहिक अवकाश के दिनों में भी ससमय उपलब्ध करायी जायेगी तथा मोबाइल ऐप पर अपडेट की जायेगी।

6. नगरीय निकायों द्वारा आश्रय गृह/अस्थाई आश्रय गृह के संचालन के सम्बन्ध में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजार, लेबर अड्डा आदि सार्वजनिक स्थल पर समस्त आश्रय गृह का नाम, क्षमता, संचालक संस्था प्रबंधक, केयर टेकर का नाम, मोबाइल नम्बर व शेल्टर होम में उपलब्ध मुख्य सेवाओं/सुविधाओं का डिस्पले साइन बोर्ड, बैनर आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जायेगा। साथ ही स्थाई आश्रय गृह हेतु सूडा, उ0प्र0 द्वारा तैयार कराये गये मोबाइल ऐप के माध्यम से शहर विशेष में उपलब्ध आश्रय गृह की सूचना प्राप्त किये जाने हेतु गूगल पर जाकर प्ले–स्टोर से up shelter home government of uttar pradesh डाउनलोड करके विवरण प्राप्त किये जाने का भी उल्लेख डिस्प्ले बोर्ड पर भी कराया जाये। समय–समय पर अन्य संचार माध्यमों से भी प्रचार प्रसार किया जाये ताकि शहरी बेघरों को आश्रय गृह की जानकारी हो सके। यह जानकारी स्थाई आश्रय गृह के बाहर भी लिखी जायेगी।
7. आश्रय गृह में आश्रय लेने हेतु आधार कार्ड अनिवार्य बाध्यता नहीं है, कोई भी अन्य पहचान पत्र लिया जा सकता है यदि कोई भी पहचान पत्र किसी बेघर के पास नहीं है तो भी उसे आश्रय से मना नहीं किया जायेगा, उसे आश्रय, विस्तृत रूप से पहचान की तस्दीक के उपरान्त पहचान सम्बन्धी सुसंगत जानकारी प्राप्त कर उसकी पूर्ण फोटो मोबाइल से खींचकर संरक्षित करते हुए आश्रय दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में सभी स्थाई आश्रय गृह के बाहर यह विवरण सुचारू रूप से अंकित भी किया जाये।
8. DAY-NULM आश्रय गृह में सामुदायिक भोजनालय की व्यवस्था भी करायी जायेगी। DAY-NULM के सभी आश्रय गृह में किचेन सामग्री, चूल्हा व गैस सिलेण्डर आदि उपलब्ध कराया गया है। सामुदायिक भोजनालय में न्यूनतम दर आधारित भोजन आश्रय लेने वालों के लिए बिना लाभ आधारित (No Profit No Loss) पर आश्रय संचालक संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। कतिपय अति अक्षम व्यक्ति को भोजन निःशुल्क संचालन एवं प्रबंधन व्यवस्था के अन्तर्गत दिया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में सामुदायिक किचेन की व्यवस्था होने तक आश्रय लेने वाले व्यक्तियों के खाना बनाने हेतु किचेन उपलब्ध कराया जाये।
9. आश्रय गृहों में मिशन दिशा–निर्देशों के अनुसार बेघरों को आश्रय दिया जायेगा। दिशा–निर्देशों में बेघरों को आश्रय लेने हेतु समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया जिसके दृष्टिगत किसी भी बेघर व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के उपरान्त आश्रय लेने हेतु मना नहीं किया जायेगा। अपितु शहरी बेघर होने की तस्दीक किया जाना आवश्यक होगा, यदि तस्दीक में शहरी बेघर न होने अथवा दूषित मंशा पाये जाने पर तत्काल जिला प्रशासन के सहयोग से नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. नगर निकायों द्वारा आश्रय गृह से कूडा, कचरा उठाने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित कर प्रत्येक दिवस कूडा, कचरा उठवाया जायेगा। आश्रय गृह के आस–पास की सफाई व्यवस्था पर नगरीय निकायों द्वारा विशेष ध्यान देकर निरन्तर सफाई भी करायी जाये।
11. सभी आश्रय गृह की सम्बद्धता भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न कॉलेजों से की जाय तथा जिन शहरों में मेडिकल कालेज है वहां के शेल्टर होम की सम्बद्धता मेडिकल कालेजों से की जाय। मेडिकल कालेज के इन्टर्नस/कालेज के छात्रों का समय समय पर आश्रय गृह में भ्रमण कराकर बेहतर संचालन में उनका सहयोग/सुझाव भी लिया जाय। स्थानीय

अस्पतालों/चिकित्सकों से समन्वय कर स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन भी समय–समय पर किया जाये।

12. प्रदेश में कतिपय आश्रय गृह, जो क्षमता से अधिक शहरी बेघरों को निरन्तर आश्रय दे रहे है उनके अभिलेखों की जांच कर जिला प्रशासन/नगरीय निकायों के सहयोग से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दरी, गद्दा, कम्बल, तकिया एवं चादरों की व्यवस्था करायी जाये।
13. सामुदायिक भोजनालय हेतु खाद्य एवं रसद विभाग से समन्वय कर सस्ते दरों पर आश्रय गृह को राशन दिलाया जाय ताकि सामुदायिक किचन का संचालन हो सके।
14. श्रम विभाग से समन्वय कर आश्रय लेने वाले श्रमिकों हेतु आश्रय गृह में कैम्प लगाकर पंजीकरण कराते हुए श्रम विभाग की योजनाओं से भी लाभान्वित किया जाये।
15. आश्रय गृह का जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा निरन्तर अधिकारियो का भ्रमण कराकर देखरेख भी की जाय तथा समय–समय पर औचक पुलिस अधिकारियों के भ्रमण की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ताकि किसी भी प्रकार की असमाजिक गतिविधियों की शिकायतों से बचा जा सके।
16. प्रत्येक आश्रय गृह में आश्रय प्रबंधन समिति (शेल्टर मैनेजमेंट कमेटी) के गठन का प्राविधान है जहां अभी तक गठन नहीं हुआ हो तत्काल गठन कर प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर कार्यवाही भी रजिस्टर में अंकित की जाय तथा भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जाय।
17. मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 सरकार द्वारा निरन्तर निर्देश दिये जा रहे हैं कि किसी भी निकाय/शहर में कोई भी व्यक्ति खुले में नहीं सोना चाहिए, जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अपरिहार्य है।
18. विगत दिनांक 13.11.2018 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्गत अन्तरिम आदेश के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र सं0–M-13/23/2017-UPA-I SECTION-MHUPA दिनांक 15.11.2018 एवं पत्र सं0–M-13/23/2017-UPA-I(Pt-II)(9053617) UPA-II दिनांक 20.11.2020 के अनुक्रम में अभिकरण मुख्यालय के पत्रांक 3019 दिनांक 16.12.2020 एवं पत्रांक 2595 दिनांक 06.11.2020 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं कि शीतकाल हेतु कार्य योजना का निर्धारण किया जाय जिसके अनुसार वर्तमान में आश्रय गृह का निर्माण पूरा होने मे समय लगने, जिन निकायों में अभी तक शेल्टर होम का निर्माण नहीं हुआ/परियोजना स्वीकृत नहीं हुई है अथवा थर्ड पार्टी सर्वेक्षण में 25 एवं उससे कम संख्या में शहरी बेघर पाये गये हैं, के साथ ही शहरी बेघर बाहुल्य क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या मे अस्थाई आश्रय गृह की व्यवस्था शहरों/निकायों द्वारा कराया जाये।
19. अस्थाई व्यवस्था के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विगत में पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन में अस्थाई आश्रय गृह मे आश्रय लेने वाले शहरी बेघरों हेतु साफ गद्दे, तकिया, कम्बल, रूम हीटर, स्वच्छ पेयजल (Portable Drinking Water), शौचालय एवं बाथरूम, प्राथमिक उपचार बाक्स, प्राथमिक उपचार सुविधा, नशा मुक्ति उन्मूलन व्यवस्था के साथ ही मच्छर मारने वाली मशीन एवं क्वाइल, मच्छरदानी आदि की व्यवस्था प्रत्येक दशा मे सुनिश्चित करायी जाये। अपरिहार्य है।
20. सभी आश्रय गृह में भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.12.2019 के अनुक्रम में आश्रय गृह में रूकने वाले व्यक्तियों का तिथिवार विस्तृत विवरण कम्पैनिंग विवरण, कम्पैनिंग से लाये गये व्यक्तियों की संख्या आदि का सम्पूर्ण विवरण कम्प्यूटराइज्ड किया जाये।
21. नगरीय निकाय की आवश्यकतानुसार पुरूषों, महिलाओं एवं बच्चों के आश्रय के लिए विभिन्न स्थलों पर सुरक्षा एवं प्राइवेसी को ध्यान मे रखकर व्यवस्था की जाये।
22. वृद्धों, अशक्त, दिव्यांग पुरूष, महिला एवं बच्चों के लिए आवश्यकतानुसार विशेष आश्रय गृह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
23. आश्रय गृह में क्षमता से कम शहरी बेघरों के शहरों/निकायों से दैनिक आश्रय की प्राप्त हो रही रिपोर्ट के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं कि खुले में सो रहे व्यक्तियों को आश्रय गृह में लाने के लिए सप्ताह में कम से कम 2–3 बार रात्रि को मोबिलाइजेशन अभियान शेल्टर संचालक संस्था

सी0एम0एम0यू0 डूडा एवं नगरीय निकाय कर्मियों के माध्यम से चलाया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि शहर/निकायों में कोई व्यक्ति खुले में रात्रि विश्राम न करें।

24. वर्तमान में कोविड–19 के दृष्टिगत आश्रय गृह की प्रत्येक दिवस नियमित दो बार सफाई करायी जाये तथा बेड शीट/तकिया कवर की धुलाई सप्ताह में कम से कम 02 बार करायी जाये। आश्रय गृह में नये अन्तः वासी के आने पर धुली बेडशीट व तकिया कवर दिया जाये। किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किये गये बेड शीट/तकिया कवर को बिना सुचारू रूप से धुलाई किये हुए किसी भी व्यक्ति को उपयोग के लिये न दिया जाये।
25. किसी भी अन्तःवासी अथवा कर्मी को बुखार, खांसी, सांस लेने में समस्या आदि की शिकायत पर तत्काल सी0एम0ओ0 आफिस/कन्ट्रोल रूम को सूचित कर चिकित्सीय सेवा ली जाये तथा जिला प्रशासन को सूचित किया जाये।
26. आश्रय गृह का निर्माण शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है, जिसके दृष्टिगत आश्रय गृह का उपयोग केवल शहरी बेघरों को आश्रय हेतु ही किया जाये, किसी अन्य कार्य के लिए आश्रय गृह का उपयोग न किया जाये।
27. DAY-NULM के अन्तर्गत निर्मित आश्रय गृह नगरीय निकायों के हस्तगत किये गये हैं, जिसके दृष्टिगत निर्माण कार्य से सम्बन्धित कमियों का निराकरण नगरीय निकाय द्वारा स्वयं अथवा कार्यदायी संस्था के माध्यम से नियमानुसार कराया जाए तथा भवन का रखरखाव नगरीय निकाय द्वारा किया जाए। आश्रय संचालक संस्था द्वारा दैनिक उपयोग की सामग्री एवं अन्य अल्प रखरखाव का कार्य संचालन एंव प्रबन्धन व्यवस्था की स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत किया जाए।
28. कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत आवश्यक है कि शेल्टर संचालक संस्थाओं द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। साफ–सफाई एवं सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाये। शयन कक्षों में प्रत्येक बेड, दूर–दूर लगाये जायें, कम से कम 06 फिट की दूरी सुनिश्चित की जाये। आवश्यकता पड़ने पर उक्त दूरी पर बरामदे में बेड लगाये जायें। आश्रय गृह में सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाये। आश्रय लेने वाले व्यक्तियों को मास्क लगाने हेतु गतिशील कर सभी को मास्क लगाने की बाध्यता सुनिश्चित करायी जाये।
29. आश्रय गृह का संचालन कर रही, आश्रय संचालक संस्थाओं को समय से संचालन एवं प्रबंधन व्यवस्था की धनराशि अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित कराया जाये।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार आश्रय गृहों का सुचारू रूप से संचालन कराते हुए दैनिक आश्रय लेने वाले व्यक्तियों की संख्या मोबाइल ऐप के द्वारा Upshelterhome.org पर नियमित प्रातः 11 बजे तक अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाना है।